

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह

अपर मुख्य सचिव।

रेवा में,

मुख्य अभियंता, देवघर;

संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक :- **२५/३/१९**

विषय :-

मॉग संख्या-४९—जल संसाधन विभाग, योजना मुख्य शीर्ष-४७११—बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-०१—बाढ़ नियंत्रण, लघु शीर्ष-७९६—जनजातीय क्षेत्र योजना, उप शीर्ष-५८—नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष-०५—निर्माण ४५ निर्माण कार्य, विपत्र कोड़—४९S471101796580545, के अंतर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष-२०१८-१९ में निधि का आवंटन।

प्रसंग :-

प्रशासनिक र्खीकृत्यादेश संख्या—०५/१८-१९, दिनांक ०३.०५.२०१८

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष ४७११ — बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष / विपत्र कोड़	आवंटित राशि (लाख रु० में)
1	2	3	4	5
1.	४९—जल संसाधन विभाग ४७११—बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय / ०१—बाढ़ नियंत्रण,	७९६—जनजातीय क्षेत्र योजना, उप शीर्ष-५८—नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का कार्यान्वयन	०५—निर्माण ४५ निर्माण कार्य / ४९S471101796580545	19.31

आवंटित राशि — ₹ उन्नीस लाख एकतीस हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष २०१८-१९ के (पुनरीक्षित) बजट उपबंध रु. ११००.०० लाख (ग्यारह करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८, १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ एवं १३६३ दि. ०९.०५.२०१६ के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक र्खीकृति एवं तकनीकी र्खीकृति के अंतर्गत / अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्राणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(सूर्यनारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-१

7. सरकारी नियम / अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू / बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. इस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. विहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यार्पण 31 मार्च, 2019 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त्


 (अरुण कुमार सिंह) २५.३.१९
 अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— २२८

रॉची, दिनांक :— २५/३/१९

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ज्ञारखण्ड पो.— हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/साहेबगंज/देवघर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।


 (अरुण कुमार सिंह) २५.३.१९
 अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— २२८


रॉची, दिनांक :— २५/३/१९

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख—I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशास्य-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/साञ्चिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप सचिव, जल संसाधन विभाग, ज्ञारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


 (सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)

संयुक्त सचिव


 (हेमन्त कुमार) २५.३.१९
 अभियंता प्रमुख-1
 अपर मुख्य सचिव

विभागीय पत्रांक..... 228

दिनांक 25/3/19

का अनुलग्नक

परिषिद्ध - 1

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग
 मुख्य शीर्ष-4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय
 उप मुख्य शीर्ष-01-बाढ़ नियंत्रण
 लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
 उप शीर्ष-58-नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का कार्यान्वयन
 विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 45 निर्माण कार्य
 विपत्र कोड- 495471101796580545

वित्तीय वर्ष 2018-19 में पुनरीक्षित बजट उपबंध रु. 1100.00 लाख (भारह करोड) मात्र।

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	प्रशासनिक स्वीकृति का योजना का नाम		मार्च 2018 तक का पूर्व आवंटन	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अन्युक्ति	
			प्रसंग	राशि		वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	गंगा पम्प नहर प्रमंडल, साहेबगांज (SBJIRR016)	देवधर	साहेबगांज जिलान्तर्गत राजमहल प्रखण्ड में गंगा नदी के दायें तट पर समसन्धार, राजमहल के पास कटाव निरोधक कार्य का प्रस्ताव (कटाव की लम्बाई 300 मी.)	05/18-19, प्रस्त्री. दिनांक- 03.05.2018 Online AA- 291/05.05.18	289.62	0.00	220.00	19.31	239.31	104929	
			योग	220.00	19.31	239.31					

आवंटित राशि - ₹ उन्नीस लाख एकतीस हजार मात्र।

25.3.19

(हमन्त कुमार)

अभियंता प्रमुख-1

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (आम॑)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)

संयुक्त सचिव

(अरुण कुमार सिंह) 25.3.19

अपर मुख्य सचिव